पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 357/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.11.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 19.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

01.थाना सिधारीः दहेज हत्या में वांछित/फरार अभियुक्ता के घर चल सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक- 09.07.24 को रामू चौहान पुत्र स्व0 बृजेश चौहान निवासी ग्राम व पोस्ट रगंडीह आजमगढ़ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बहमराह रोहित पुत्र बहादुर के उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र हिन्दी बाबत प्रतिवादी गण द्वारा खुद की बहन कविता चौहान उम्र 28 वर्ष व देवांश उम्र करीब 03 वर्ष को विषाक्त पदार्थ देकर जान से मार दिया गया, के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 253/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट दिनांक घटना 08/09.07.24 समय अ0त0 घटना स्थल जाफरपुर 3.5 कि0मी0 पश्चिम बमुदैयत रामू चौहान उपरोक्त बनाम (1) पंचदेव चौहान पुत्र बालचन्द्र चौहान (पति) (2) सम्भा चौहान पुत्री बालचन्द्र चौहान (ननद) (3) सरिता चौहान पुत्री बालचन्द्र चौहान (ननद) (4) जलेबी पत्नी स्व0 बालचन्द्र चौहान (सास) (5) विरबल चौहान पुत्र अज्ञात (दमाद) (6) शैलेश चौहान पुत्र अज्ञात (दमाद) सर्व निवासीगढ़ जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है।

मुकदमा उक्त में अभियुक्त पंचदेव चौहान व सरिता चौहान की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभियुक्त सम्भा, बीरबल व शैलेष द्वारा मा0उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्टे लिया गया है।

➡मुकदमा उक्त में अभियुक्ता जलेबी देवी उपरोक्त वांछित चल रही थी जो बार बार दबिश देने के बाद भी न तो गिरफ्तार हुई और न ही मा0न्यायालय के समक्ष हाजिर हुई। अभियुक्ता जलेबी के विरूद्ध मा0न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिट्रेट आजमगढ़ से धारा 85 बीएनएसएस (कुर्की) का आदेश प्राप्त किया गया था।

➡मुकदमा उक्त के विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर के आदेश के अनुपालन में दिनांक 18.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मा0न्यायालय द्वारा निर्गत धारा 85 बीएनएसएस आदेश/कुर्की के तामिला हेतु अभियुक्ता जलेबी उपरोक्त के घर ग्राम जाफरपुर गये। अभियुक्ता के घर व उसके मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दिया गया। अभियुक्ता दस्तेयाब नहीं हुई। अभियुक्ता जलेबी पत्नी बालचन्द चौहान निवासी जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के आस पड़ोस से बलधारी चौहान पुत्र स्व0 बरखू चौहान निवासी जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ व ग्राम प्रधान जगदीश्वर यादव पुत्र स्व0 छोटकुन यादव निवासी जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के समक्ष मा0न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिट्रेट आजमगढ़ द्वारा निर्गत कुर्की आदेश के बारे में बताया एवं सुनाया गया। तत्पश्चात् समक्ष गवाहान उपरोक्त के अभियुक्ता के मकान की चल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की गयी।

02.थाना – रौनापारः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादिनी ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 07.06.2023 को समय करीब रात्रि 19.30 बजे वादिनी की पुत्री उम्र करीब 12 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 179/2023 धारा 363 भादवि बनाम बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है जिसमें दौराने विवेचना बरामदगी पीड़िता/ अपहता व अभियुक्त को आज दिनांक 19.11.2024 को गिरफ्तार किया गया।

पीडिता /अपहता के आधार कार्ड के अवलोकन से घटना के समय उम्र 11 वर्ष 07 माह हो रही है व बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376(क)(ख)/366 भादवि व 5(M)/6 पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई व अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा 376(क)(ख)/363/366 भादवि व 5(M)/6 पाक्सों एक्ट में की जायेगी।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 19.11.2024 को उप-निरीक्षक शिवम मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त शुभम मौर्या पुत्र गनेश मौर्या निवासी ग्राम बेलकुण्डा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को बघावर तिराहे के पास से समय करीब 11.20 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया।

03.थाना सरायमीरः एक व्यक्ति पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने के किये गये प्रयास के प्रकरण में 03 आरोपी पकड़े गये, 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/ -

अवगत कराना है कि दिनांक 17/11/2024 को वादी मुकदमा सुबाष चन्द पुत्र बरसाती राम सा0 रंगडीह (फरहामऊ) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिये कि समय लगभग 05 बजे शाम को रंगडीह सुतरीगंज चौराहा पर मेरा बेटा गुलशन ,मेरे भाई जगदीश चन्द के बने हुए मकान में सटर लगवा रहा था। उसी समय मेरे गाँव का अमन पुत्र संतोष राय पुराने विवाद को लेकर मेरे बेटे को जान से मारने की नियत से पेट्रोल फेंककर जला दिया। जिससे मेरा लड़का गुलशन बुरी तरह से जल गया उसके बाद अमन का भाई सौरभ व पवन इसकी माँ अर्चना राय तथा इनके घर रहने वाला सूरज वर्मा पुत्र स्व0 रामसमुझ वर्मा ग्राम कनकपुर थाना लाईन बाजार जौनपुर आकर अभिषेक पुत्र सुबास मेरे छोटे बेटे को गाली गुप्ता व मारने पीटने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे उसके बाद तत्काल 112 नम्बर की सूचना पर पुलिस पहुंची जो गुलशन को सी एच सी फूलपुर भेजवाई जहां से जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। आवेदक के तहरीर पर थाना सरायमीर पर मु0अ0स0 610/24 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 05 नफर पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी फूलपुर, आजमगढ़ द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक- 19.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह व उ0नि0 अखिलेश यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त सूरज वर्मा पुत्र स्व0 रामसमुझ वर्मा सा0 कनकपुर, थाना लाईन बाजार जौनपुर को छित्तेपुर बाजार के पास से समय करीब 11.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। तथा 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

04.थाना तरवा: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनाँक 19.11.2024 को उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो बेल्हाडीह की तरफ से खरिहानी चौराहे की तरफ आ रहा है इस सूचना पर तत्काल पुलिस खरिहानी हाइड्रिल के पास से अभियुक्त अनिश पुत्र इन्द्रासन जयसवार निवासी ग्राम बेल्हाडीह थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष के साथ एक अदद देशी तमंचा 312 बोर व एक अदद जिंदा कारतुस 312 बोर समय 7.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-322/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 शिवम द्विवेदी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

05. थाना निजामाबाद: दुष्कर्म के अभियोग में एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.11.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा एक बाल अपचारी थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा को की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ कही भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 531/24 धारा 137(2),87 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/ 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण

आज दिनांक 19.11.24 को उ0नि0 मो0 शमशाद खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल आपचारी को समय करीब 10.40 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारी का पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0न्या0 किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया।